

12/24

पत्रावली पेश हुई। अर्थात्/ उन्नयन हाजिर। वीरगण अधिकारी  
का उन्नयन कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार  
दिनांक 23/1/24 को पत्रावली वारी द्वारा  
माननीय मायालक्ष्मी सिंहापत्र उन्नयन (फाल्गुन-१९)  
नवलागू के मु.नं. 236/2022 के लम्बवित्त  
दस्तावेज पेश/दिने गये।

20/24

पत्रावली पेश हुई। वकील वारीगण हाजिर।  
व वकील अग्रणीगण अनुपस्थित। पत्रावली  
वाले आगामी कार्डिन दिनांक 25/1/24  
को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

25/24

पत्रावली पेश हुई। अर्थात् उन्नयन  
हाजिर। अर्थात् अधिकारी उन्नयन सुनी गई।  
व अर्थात् उन्नयन ने राजीनामा के आधार  
पर फैसला दिये जाने हेतु निर्देश किया।  
पत्रावली वाले निर्देश दिनांक 25/1/24 को  
पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

29/24

पत्रावली पेश हुई। अर्थात् उन्नयन हाजिर।  
वाद वारीगण को स्वीकार किया जा रहा है।  
निर्देश अलग से लिखित जाकर आगामी  
पत्रावली किया। पत्रावली फैसला अग्रणीगण  
नम्र (ले कम है) हाजिर दफ्तर है। निर्देश  
आज ही दफ्तर (ले सुनाया गया)

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

26/24

पत्रावली वारी चिरंजीलाल द्वारा अर्थात्  
अर्थात् प्रिसल वली का आवेदन पेश करने  
पर पेशी में ली गई। वारी द्वारा आवेदन  
152.151 पर इस आग्रह का पेश किया  
गया है कि वारीगण द्वारा उन्नयन काउ में

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

साधना की मर संपत्ति 14 में टंकन की मूल से

निम्न प्रकार से कृतियां हो गई -

(अ) अविभूति ख. नं. 1240 परिवारी सं. 55 पोखर को देना लही अंकि किया किन्तु उमर साधना की मर नं. 14 (क) में उमर ख. नं. 1240 को पुनः परिवारी सं. 56 से 62 को देना अंकि हो गया इसलिये इसे दुबारा कर परिवारी सं. 56 से 62 का नाम हजफ किया जावे।

(ब) भूति ख. नं. 2531/1198, 2532/1198 परि. सं. 63 से 71 के एक हिस्से के हैं जिसका विवरण काउ-फा की मर सं. 4 (क) (भ) में दर्ज है परन्तु साधना की मर सं. 14 (क) में टंकन की मूल से परिवारी सं. 56 से 62 के हिस्से का दर्ज कर दिया गया तथा भूति ख. नं. 2533/1199, 2534/1199 परि. सं. 56 से 62 के हिस्से के हैं जिनको परिवारी नं. 63 से 71 के हिस्से में अंकि कर दिया तथा इसी अंकुरूप दिहा पादित हो गये।

वही द्वारा आवेदन उत्तुल कर निवेदन किया है कि दिनांक 29/4/2024 को न्यायालय द्वारा पादित निर्णय की काउ-फा की मर सं. 4 (क) के अंकुरूप दुबारा किया जाकर भूति ख. नं. 1240 में परिवारी नं. 56 से 62 का नाम हजफ किया जावे तथा ख. नं. 2531/1198, 2532/1198 परि. सं. 63 से 71 के नाम से किया जावे तथा इसमें से परिवारी सं. 56 से 62 का नाम हजफ किया जावे तथा ख. नं. 2533/1199, 2534/1199 में से परि. सं. 63 से 71 का नाम हजफ किया जावे तथा परिवारी सं. 56 से 62 के नाम किया जाकर दुबारा किया जावे। अधि. परिवारी उमर उमर आवेदन पर अपनी सहमति जाहिर की है।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर

26<sup>7</sup>/<sub>24</sub> तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अपलोड किया। अपलोड से स्पष्ट है कि प्रारंभिक वाइफेंसकारों द्वारा वाइ के मंड संख्या 4 (क) के अनुसार वाइफी कंवेनर कर रखा है परन्तु वाइ की लदायरा के मंड सं. 14 में रकंग से उम्ह कुंभिया दर्ज है। अर्थात् प्रविशण द्वारा उम्ह आवेदन पर आपनी लदायरी उदान की है। अर्थात् प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन 152, 151 पर को र्कीकर किया जाता है तथा न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 29/4/2024 में संशोधन किया जायेके आदेश दिये जायेके कि भूमिख. न. 1240 वाके गाम्म विक्नगर तहसील व जिला सीकर के प्रविशरी सं. 56 से 62 का नाम एजक किया जाता है तथा ख. न. 2533/1198, 2532/1198 वाके गाम्म विक्नगर में से प्र. सं. 56 से 62 का नाम एजक किया जाकर प्रविशरी सं. 63 से 72 (ग) के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किया जाये तथा भूमि. ख. न. 2533/1199, 2534/1199 वाके गाम्म विक्नगर की भूमि से प्रविशरी सं. 63 से 72 का नाम एजक किया जाकर प्रविशरी संख्या 56 से 62 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड दिये जाने के आदेश जारी किये जाये। शेष आदेश प्रथावर रहेगा। तहसीलदार सीकर को निर्देश दिये जाये है कि न्यायालय हाजा के उम्ह आदेश दिनांक 29/4/2024 में उम्हानुसार संशोधन किया जाकर विवादिता भूमि का भूतल दरामद राजस्व रिकॉर्ड किया जाये। पत्रावली क्र. फौजिल मुम्ह एीवर दाखिल दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर